बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्र संख्या–06/निबंधन–39/2016 परि0............../

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।

पटना, दिनांक ....

विषयः– M/s-Mahindra & Mahindra Ltd. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के [illegible] में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s-Mahindra & Mahindra [illegible] प्रस्तुत उनके उत्पाद मॉडलों के संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजे[illegible]त्त अभिप्रमाणित प्रोटोटाईप जाँच प्रमाण–पत्र एवं अन्य कागजातो के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडलों का बिहार राज्य में वि[illegible]नार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

Sl. No.	Base Mode!	T.A. Certificate No./Date	Types of Vehicle
1	LOADKING PRIDE 4T LWB BSIV CABIN & LOAD CARRIER (FSD) and its 24 Variants	CIRT/CMVR/TA/2016[illegible]031/ R621/ 12.05.20[illegible]	Light Commercial Vehicle Goods- N2
2	Mahindra Tourister BSIV 4200 Bus-33+D NBB and its Variants	AAJN 0127 V02/ 1[illegible]	M3
3	Mahindra DI 3200 BSIV-Cabin & Load Carrier and its 10 Variants	CIRT/CMVR/TA[illegible]5/ R625/ 10.05.20[illegible]	Light Commercial Vehicle Goods- N2
4	Mahindra Tourister BSIV 4200 and its 14 Variants	AAJN 0127 052[illegible] 01.07.2016	M3
5	LOADKING PRIDE 6T BSIV CABIN & LOAD CARRIER (FSD) and its 21 Variants	CIRT/CMVR/TA/2016[illegible]2/ R622/ 06.05.2016	Light Commercial Vehicle Goods- N2

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली–1989 के नियम–126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र–[illegible] प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम–93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली [illegible]यम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवे[illegible] जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा ।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आ[illegible] निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जबावदेही आ[illegible] होगी।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम–1994 की धारा–6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित [illegible]रेंगे ।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा–6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 सेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक [illegible] के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. उपरोक्त मॉडलों एवं Variants के निबंधन के समय मोटरयान निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें निर्धारित मानक का Speed Governer लगा हुआ है।
9. संबंधित Models का बिक्री मूल्य डीलर द्वारा संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे जिसे कार्यालय कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/–

राज्य परिवहन आयुक्त
, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : .... पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपिः–Authorised Signatory: For M/s- Mahindra & Mahindra Ltd. Alankar Business Center, East Boring Canal Road, Patna- 1 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

राज्य परिवहन आयुक्त
, बिहार, पटना।

P.T.O

F:\6\Registration Format.Docx........ 609

ज्ञापांक : 1880 पटना, दिनांक : 19/4/17

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software के Master Box में प्रविष्टि करने हेतु / I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।